झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Gyandeep Campus, Bargawan,
Namkum, Ranchi – 834010
Ph.:- 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ,
नामकुम, राँची – 834010
फोन : 0651–6453342,6453343,
6453344, 6453345
Website: www.jac.nic.in
Fax: 0651- 2261999

पत्रांक / Ref. JAC/P.T.T./1376/16-3631/17 राँची, दिनांक / Date 22/07/17

प्रेषक,

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
Greet Teacher Training College,
Railway Station Road, Vill.-Panchrukhi,
Dist.-Giridih, Jharkhand-825412

विषय :– PTT (D.EL.Ed) कोर्स के सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर के पत्रांक ER-239.6. 183 (Part-5)/ID No. 9151/ D.El.Ed./ 2017/ 52992 दिनांक 02.05. 2017 के आलोक में परिषद् के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को PTT (D.EL.Ed) (Basic Intake) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु Examinee Body के रूप में शिक्षा सत्र 2017–2018 से निम्नांकित शर्त्तों के अधीन औपबंधिक रूप से परीक्षा आयोजन के निमित्त सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(क) संबंधित संस्था विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्य कर संचालित करेंगे।

(ख) सत्र प्रारम्भ के 06 माह के अन्दर नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची जिसमें उनके पिता / पति का नाम स्थायी पता एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि हो परिषद् कार्यालय में निश्चित रूप से जमा करेंगे।

(ग) कि महाविद्यालय में प्रशिक्षुओं का नामांकन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड / आरक्षण आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत मेधाक्रम में ही किया जायेगा।

(घ) भविष्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियम / विनियम द्वारा यथा निर्धारित किसी भी शर्त्त का पालन नहीं किये जाने एवं प्रतिकूल आदेश प्राप्ति की स्थिति में यह सम्बद्धन रद्द कर दिया जायेगा एवं महाविद्यालय उस सत्र से प्रशिक्षुओं का नामांकन नहीं कर सकेगा।

अतः वर्णित स्थिति में शिक्षा सत्र 2017–18 के प्रशिक्षुओं का नामांकन करते हुए नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची छः माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

19/7

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

अनुलग्नक –

1. **झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 2479 दिनांक 19.10.2011**
2. **झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004**

PTT Letter G.S

पत्रांक– 8/प04–07/2011–2479/

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

डा० डी० के० सक्सेना,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
झारखण्ड।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 19/10/11

विषयः– प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु न्यूनतम योग्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या No. F.51/2009-NCTE(N&S), दिनांक 31.08.2009 द्वारा द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलेमेंट्री टीचर एडुकेशन (D.El.Ed.) कोर्स में नामांकन के लिए निर्धारित अर्हता निम्नवत् हैः–

a. Candidates with at least 50% marks in the senior secondary (+2) or its equivalent examination are eligible for admission.

b. The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government/State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favor of SC/ST/OBC and other categories of candidates

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1382, दिनांक 20.05.2004 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

तद्नुसार, निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय संसूचित किये जाने तक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चयन एवं नामांकन की प्रक्रिया स्थगित रखी जाये।

विश्वासभाजन

15/10/11
(डी० के० सक्सेना)
निदेशक,(प्रा० शि०)